

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23122023-250861  
SG-DL-E-23122023-250861असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|          |                                                 |                         |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| सं. 375] | दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2023/पौष 1, 1945  | [रा.रा.क्षे.दि. सं. 349 |
| No. 375] | DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2023/PAUSHA 1, 1945 | [N. C. T. D. No. 349    |

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2023

**फा.सं.14(89)/LA-2023/jtsecylaw/402-411.**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 20 December, 2023 को प्राप्त कर ली है और इसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है —

दिल्ली विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 2023

(2023 का दिल्ली अधिनियम 10)

(15<sup>th</sup> December, 2023 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

{ 22 December, 2023 }

वर्ष 2023—2024 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

## संक्षिप्त शीर्षक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 4) अधिनियम 2023 है।

2165,56,68,000/-/- का वर्ष  
2023-2024 में राष्ट्रीय  
राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित  
निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए दो हजार एक सौ पैसठ करोड़ छप्पन लाख अड़सठ हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2023-2024 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।

## विनियोजन

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

## अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(हजार में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

| अनुदान संख्या | सेवाएं और प्रयोजन         |        | विधान सभा द्वारा अनुदत्त | संचित निधि पर भारित | योग     |
|---------------|---------------------------|--------|--------------------------|---------------------|---------|
| I             | II                        |        | III                      | IV                  | V       |
| 1             | विधान मंडल                | राजस्व | 300                      | 200                 | 500     |
|               |                           | पूँजी  | 100                      | 0                   | 100     |
| 2             | सामान्य प्रशासन           | राजस्व | 900                      | 700                 | 1600    |
|               |                           | पूँजी  | 1000                     | 200                 | 1200    |
| 3             | न्याय प्रशासन             | राजस्व | 522584                   | 1356                | 523940  |
|               |                           | पूँजी  | 2900                     | 0                   | 2900    |
| 4             | वित्त                     | राजस्व | 1616                     | 100                 | 1716    |
|               |                           | पूँजी  | 1025                     | 0                   | 1025    |
| 5             | गृह                       | राजस्व | 221580                   | 0                   | 221580  |
|               |                           | पूँजी  | 650                      | 0                   | 650     |
| 6             | शिक्षा                    | राजस्व | 9692                     | 46000               | 55692   |
|               |                           | पूँजी  | 600                      | 0                   | 600     |
| 7             | चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | राजस्व | 10674                    | 26000               | 36674   |
|               |                           | पूँजी  | 1300                     | 0                   | 1300    |
| 8             | समाज कल्याण               | राजस्व | 3941035                  | 61570               | 4002605 |
|               |                           | पूँजी  | 6681150                  | 0                   | 6681150 |
| 9             | उद्योग                    | राजस्व | 1340                     | 0                   | 1340    |
|               |                           | पूँजी  | 312420                   | 0                   | 312420  |
| 10            | विकास                     | राजस्व | 2124133                  | 0                   | 2124133 |
|               |                           | पूँजी  | 3100                     | 1931                | 5031    |

|    |                           |        |          |        |          |
|----|---------------------------|--------|----------|--------|----------|
|    |                           |        |          |        |          |
| 11 | शहरी विकास और लोक निर्माण | राजस्व | 6925412  | 100    | 6925512  |
|    |                           | पूँजी  | 3900     | 750000 | 753900   |
| 12 | सार्वजनिक ऋण              | पूँजी  | 0        | 100    | 100      |
|    | योग                       |        | 20767411 | 888257 | 21655668 |

समर विशाल, विशेष सचिव

## DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

### NOTIFICATION

Delhi, the 22nd December, 2023

**F. No.14 (89)/LA-2023/ jtsecylaw/402-411.**—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 20th December, 2023 and is hereby published for general information.

### “THE DELHI APPROPRIATION (No. 4) ACT, 2023”

### (DELHI ACT No. 10 OF 2023)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 15<sup>th</sup> December, 2023).

[22<sup>nd</sup> December, 2023]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2023-2024.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India as follows:-

#### Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 4) Act, 2023.

**Issue of `2165,56,68,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2023-2024.**

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of **Rupees two thousand one hundred sixty five crore fifty six lakh sixty eight thousand only** towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2023-2024 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

#### Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

### SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(₹ In thousand)

### SUMS NOT EXCEEDING

| Demand No. | Services and Purposes     |         | Voted by the Legislative Assembly | Charged on the Consolidated Fund | Total  |
|------------|---------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|
| I          | II                        |         | III                               | IV                               | V      |
| 1          | Legislative Assembly      | Revenue | 300                               | 200                              | 500    |
|            |                           | Capital | 100                               | 0                                | 100    |
| 2          | General Administration    | Revenue | 900                               | 700                              | 1600   |
|            |                           | Capital | 1000                              | 200                              | 1200   |
| 3          | Administration of Justice | Revenue | 522584                            | 1356                             | 523940 |
|            |                           | Capital | 2900                              | 0                                | 2900   |

|    |                                    |         |                 |               |                 |
|----|------------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|    |                                    |         |                 |               |                 |
| 4  | Finance                            | Revenue | 1616            | 100           | 1716            |
|    |                                    | Capital | 1025            | 0             | 1025            |
| 5  | Home                               | Revenue | 221580          | 0             | 221580          |
|    |                                    | Capital | 650             | 0             | 650             |
| 6  | Education                          | Revenue | 9692            | 46000         | 55692           |
|    |                                    | Capital | 600             | 0             | 600             |
| 7  | Medical and Public Health          | Revenue | 10674           | 26000         | 36674           |
|    |                                    | Capital | 1300            | 0             | 1300            |
| 8  | Social Welfare                     | Revenue | 3941035         | 61570         | 4002605         |
|    |                                    | Capital | 6681150         | 0             | 6681150         |
| 9  | Industries                         | Revenue | 1340            | 0             | 1340            |
|    |                                    | Capital | 312420          | 0             | 312420          |
| 10 | Development                        | Revenue | 2124133         | 0             | 2124133         |
|    |                                    | Capital | 3100            | 1931          | 5031            |
| 11 | Urban Development and Public Works | Revenue | 6925412         | 100           | 6925512         |
|    |                                    | Capital | 3900            | 750000        | 753900          |
| 12 | Public Debt                        | Capital | 0               | 100           | 100             |
|    | <b>Total</b>                       |         | <b>20767411</b> | <b>888257</b> | <b>21655668</b> |

SAMAR VISHAL, Special Secy.